न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 107 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. रावताराम पुत्र भगवानाराम
2. नवलाराम पुत्र भगवानाराम
3. पेलादराम पुत्र भगवानाराम
4. निम्बाराम पुत्र भगवानाराम
5. ओमाराम पुत्र भगवानाराम
6. मथरी पत्नी भगवानाराम
   जाति सुथार निवासी धतरवालों
   का सरा (छीतर का पार)
   तहसील बायतु जिला बाड़मेर
7. उदाराम पुत्र रामकिशन
8. पूनमाराम पुत्र सोनाराम
9. देवाराम पुत्र टीकूराम
10. विशनाराम पुत्र टीकूराम अवयस्क
11. भीखी पत्नी टीकूराम
12. मोहनराम पुत्र हेराजराम फौत
    के कायम मुकामः–
    13 / 1बाबुदेवी पत्नी मोहनराम
    उम्र 45 वर्ष
    13 / 2कमला पुत्री मोहनराम
    उम्र 20 वर्ष
    13 / 3देवाराम पुत्र मोहनराम
    उम्र 16 वर्ष
    13 / 4पेमाराम पुत्र मोहनराम
    उम्र 12 वर्ष क्र.सं. 13 / 3 से
    13 / 4 नाबालिग जरिये कु0 वलिया
    माता क्र.सं. 13 / 1 बाबुदेवी
13. उदाराम पुत्र हेराजराम
14. नेनू पत्नी हेराजराम
    "अपीलांट संख्या 11 विशनाराम
    अवयस्क जरिये कु0वलिया माता
    अपीलांट संख्या 12 भीखी पत्नी
    टीकूराम" जाति जाट निवासी
    धतरवालों का सरा(छीतर का पार)
    तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.स्वरूपसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति
माली निवासी कवास तहसील
बायतु जिला बाड़मेर।
2.पारूदेवी पत्नी पूनमाराम
जाति जाट धतरवालों का सरा
(छीतर का पार) तहसील बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु के राजस्व आवेदन संख्या 242 / 2016 बअनवान स्वरूपसिंह बनाम रावताराम में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 ।

उपस्थित

1. वकील श्री दामोदर कुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश एन.सारण रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री पूनमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांकः– 16.04.2019

Scanned by CamScanner

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा धतरवालों का सरा, पटवार मंडल छीतर का पार तहसील बायतु में अपीलांट संख्या 1 से 6 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 57 व अपीलांट संख्या 7 से 15 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 187 आया है तथा इन दोनों के बीच उतरदाता स्वरूपसिंह की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 393/185 आया है। उतरदाता द्वारा अपने खेत से खानजी का तला से छीतर का पार जाने वाली डामर सड़क तक आने–जाने हेतु खसरा संख्या 57 व 187 के उत्तरी पूर्वी सेढे से रास्ते की अति आवश्यकता है उतरदाता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया। प्रार्थी स्वरूपसिंह की भी अनुपस्थिति में उसके पिता प्रेमसिंह की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्रार्थी के आवेदन अनुसार तैयार कर, तहसील में पेश की, दिनांक 18.09.2017 को मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी, तथा बिना मूल आवेदन का जबाव प्राप्त किये दिनांक 27.09.2017 को अपीलाधीन अंतिम आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट तलब की और रेस्पार्डेंट संख्या 01 की अनुपस्थिति में एवं अपीलांट को सुने बिना उक्त मौका रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित किया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ एवं विधि सम्मत नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित किया गया। विप्रार्थी संख्या 10 व 11 को अवयस्क बताया है तथा विचारण न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जबकि नाबालिग का संरक्षक सम्मन तामील के बावजूद भी गैर हाजिर रहता है या पैरवीं नही करता है तो न्यायालय सि0प्र0सं0 के आदेश 32 नियम 3 में अदालती वली नियुक्त करेगा। अपीलाधीन प्रकरण में नाबालिग के हितों की उपेक्षा हुई है। वैकल्पिक रास्ता मौजूद है लेकिन अपीलांटगण को क्षति पहुंचाने के लिए नये रास्ते की मांग गैर वाजिब है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय निरस्त कर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 393/185 में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 05.04.2017 से स्पष्ट है कि मृतका धापूदेवी का नाम विलोपित किया जाकर उसके वारिसान शेष रिकॉर्ड पर पूर्व में होने से कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही। अपीलांट संख्या 10 व 12 नाबालिग कुदरती वली माता अपीलांट संख्या 12 भीखीदेवी को बाकायदा रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन भिजवाए गए जिस पर "लेने से इन्कार" की टिप्पणी प्रतिवेदित हुई है जो सम्यक तामील की तारीफ में शुमार की जाती है। वह स्वयं अपनी ओर से एवं अपने नाबालिग पुत्रों की ओर से उपस्थित नहीं हुई। लिहाजा एकतरफा कार्यवाही उचित ठहरती हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदमी से विद्यमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर रेस्पोडेंट/प्रार्थी अपने खेत खसरा संख्या 393/185 तक पहुंच सके। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते के लिए महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर निर्धारण करना वांछित है:–

प्रथम रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता हो, **द्वितीय** वैकल्पिक रास्ता न हो। प्रस्तुत प्रकरण में सुगम आवागमन हेतु रेस्पोडेंट/प्रार्थी एवं अन्यों को भी रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता एवं सर्वोतम विकल्प रूप में **न्यूनतम दूरी वाली चयनित भूमि** को रास्ते हेतु कटान किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः लिहाजा अपील अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

16/4/19

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner